

असाधार्ग EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PAR1 II—Section 2 - Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PURLISHED BY AUTHORITY

Ħ. 524]

नई दिस्लो, मंगलवार, अगस्त 4, 1992/अगग 13, 1914

No. 524] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 4, 1992 GRAVANA 13, 1914

इस भाग में भिन्न पूष्ठ संख्या दो जाती है जिससे कि यह अलग सकलन के रूप म रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रसायन ग्रोर उर्वरक मंत्रालय

(रसावन और पेड़ी-रसावन विभाग)

मादेश

नहींद्रेश, 4 स्त्र, 1992

का.त्रा. 594(त्र).—-केन्द्रीन सरकार, त्रोशिय (कीमन नियंत्रण) आदेश, 1987 के पैरा 9 के उप पैरा (6) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त सन्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग मंत्रालय (रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग) के आदेश सं.का.धाः 47(आ) तारीख 11 जनवरी, 1988 का निन्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त भावेश के नीचे की सारणी में कम सं. 5 और 7 और उउसे संबंधित प्रविद्धियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम सं श्रीर प्रविध्यियं रखो जाएंगी, ग्रर्थात् :---

सारणी

क.सं. -	सूत्रयोगकामान	प्रवास	पैक-ग्राकार	ग्रधिकतत्र कीमत (इ.)
1.	2.	3.	4.	5.
"5.	मानसोटेट्रासाइफ्लिन इंजेक्शन	50 मि. या ७/हिन	ि 10 विलि की भोगो	6.60"
"7.	त्रास्सोडेट्रासाइक्तिन इंजेक्सन	50 मि.ग्राव/पि	प. 30 पिजि. की शोध	n 11.12"

[सं. 8(92)/87-पो. **आई**-2)] विनोद चैता, शंयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आवेश भारत के राज्यल, अलाधारण सं. 27. भाग 3, खंड 3 (2) **तारीख** 11 जनवरो 1987 के पुष्ठ 1-3 पर प्रकाशित हुआ या और तत्वाबात निमन्तिखित हारा उसका संशोधन किया गया था :-

- सरकारी प्रधिसूचना सं.का.घा. 768 (भ्र) सारीख 18 व्यनस्त, 1938 (1)
- सरकारी अधिसूचना सं.का.श्रा. 816(ध) लारीज 13-10-1989
- (3) सरकारी प्रधिमुचना सं. का. था. 291(अ) तारोख 24 अप्रैन, 1991
- (4) सरकारी ग्रधिमुचना सं. 322 (ग्रा) तारीख ७ (८, 1991
- सरकारी ग्रधिञ्चलना सं.का.ब्रा. 898(ब्र) तारीख 20-12-1991 (5)
- (6) सरकारी अधिसूचना सं.का.ग्रा. 75(छ) तारीख 24-1-1992
- (7) सरकारी प्रधिसूचना सं.का.गा. 161(प्र) तारीख 26-2-92
- सरकारी प्रधिसूचना सं.का.ग्रा. 341(ग्र) तारोत्र 15-5-1992 लमी भारत के राजपञ्जभाग 2 खंड-3(2) में प्रकासित।

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

(Department of Chemical & Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the 4th August, 1992

S.O. 594 (F) —In exercise of the powers conterted by clause (a) of sub-paragraph (6) of paragraph 9 of the Drugs (Piles Control) Order, 1987, the Central Government hereby makes the following amendments in the order of the Government of India in the crstwhile Ministry of Industry (Department of Chemials and petro chemicals) No S O 47(£) dated 11th January, 1988, namely.—

In the Table below the said order for soludiumbers 5 and 7 and the entries relating there to the following settal numbers and entries shall respectively be substituted, namely:—

TABLE.

SI. No.	Name of the iormulation	Strength	Pack Size	Ceiling Price (Rs.)
1	2	3	4	5
7. O	oxytetracycline Injection oxytetracycline Injection etinary)	50mg/ml 50mg/ml	10ml vial 30ml vial	6.60'.

No. 8(92)/87-PI.II] VINOD VAISH Jt. Secy.

NOT: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary No. 27 Part IJ Section 3(ii) dated 11th January, 1988 at pages 1-3 and was subsequently amended by:

- (1) Government Notification No. S.O. 768(E) dated 18th August, 1988
- (ii) Government Notification No. S.O. 816(E) dated 13th October, 1989
- (iii) Government Notification No. S O 291(E) dated 24th April, 1991
- (iv) Government Notification No. S.O. 322(E) dated 9th May, 1991.
- (v) Government Notification No. S.O. 898(E) dated 20th December, 1991
- (vi) Government Notification No. S O. 75(E) dated 24th January, 1992.
- (vii) Government Notification No. S.O. 161(E) dated 26th February, 1992
- (viii) Government Notification No. S.O. 341(E) dated 15th May, 1992 published in the Gazette of India, Extra Ordinary Part II, Section 3(ii).